भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 703
दिनांक 26.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रम गतिशीलता समझौता

703. श्री के. सुधाकरनः
श्री राजा राम सिंहः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत सरकार और इजराइल के बीच जी-2 जी श्रम गतिशीलता समझौते के अंतर्गत आज तक राज्य-वार कितने भारतीय कामगारों ने इजरायल की यात्रा की है;

(ख) क्या सरकार ने जी-2 जी समझौते के अंतर्गत यात्रा करने वाले कतिपय भारतीय नागरिकों के विरुद्ध इजराइल में दर्ज आपराधिक मामलों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो दर्ज किए गए पुलिस मामलों की प्रकृति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को रूसी सेना और उसकी संबद्ध इकाइयों में काम करने के लिए ठगे गए और रूस भेजे गए भारतीय की संख्या की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) इजराइल राज्य में विशिष्ट श्रम बाजार क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के अस्थायी रोजगार की सुविधा पर समझौते के तहत, अब तक 4,825 भारतीय श्रमिकों को इजराइल में रखा गया है। राज्यवार सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) एवं (ग) ऐसा कोई मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) सरकार को ऐसे भारतीय नागरिकों के मामलों की जानकारी है जिन्हें रूसी सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए कुछ एजेंटों/व्यक्तियों द्वारा गुमराह किया गया है। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की शीघ्र रिहाई के लिए रूसी पक्ष के साथ–साथ नेताओं के स्तर पर भी इस मामले को उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8–9 जुलाई 2024 को अपनी हाल की रूस यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था।

*****

अनुबंध

इजराइल में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की राज्यवार सूची:-

क्र.सं.	**राज्य**	**भारतीय श्रमिकों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	बिहार	149
3.	छत्तीसगढ	2
4.	दिल्ली	3
5.	गुजरात	3
6.	हरियाणा	156
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	झारखंड	2
9.	केरल	20
10.	मध्य प्रदेश	6
11.	महाराष्ट्र	1
12.	पंजाब	6
13.	राजस्थान	30
14.	तमिलनाडु	1
15.	तिलंगाना	2
16.	उत्तर प्रदेश	4,415
17.	पश्चिम बंगाल	20
	कुल योग	4,825

*****